उड़ीसा राज्य

बनाम

चौधरी नायक (मृतक जरिये एल आर) व अन्य

(सिविल अपील की संख्या 6818/2010)

20 अगस्त 2010

(आर.वी. रवीन्द्रन और एच.एल. गोखले, जे.जे.)

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972-पेंशन अन्तर्गत-प्रथम प्रत्यर्थी को दी गई-केन्द्र सरकार द्वारा इस आधार पर रद्द कर दी गई कि प्रथम प्रत्यर्थी ने झूठे और मनगढंत दस्तावेजों के आधार पर इसे हासिल किया-का औचित्य-अभिनिर्धारित-न्यायोचित-झूठे और मनगढंत दस्तावेज पेश करने वाले फर्जी दावेदारों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन प्रदान करना उतना ही बुरा है जितना वास्तविक स्वतंत्रता सेनानीयों को पेंशन से वंचित किया जाना-सरकार को झूठे और मनगढंत दावों को खत्म करना चाहिए और दावे की फर्जी प्रकृति सामने आने पर अनुदान रद्द करना चाहिए।

प्रथम प्रत्यर्थी ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के अनुदान के लिए इस आधार पर आवेदन दायर किया कि 1943 में उन्हें भारत रक्षा नियम (डीआईआर) के नियम

38 (5) के तहत उप-मण्डल अधिकारी (एसडीओ) द्वारा दोषी ठहराया गया और सात महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। कारावास के प्रमाण के रूप में, प्रथम प्रत्यर्थी ने एसडीओ के कार्यालय में 1943 के चालान रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का प्रमाणित उद्धरण प्रस्तुत किया। तदनुसार, प्रथम प्रत्यर्थी को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन स्वीकृत की गई थी।

तत्पश्चात्, उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी ने झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करके स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हासिल की थी और एसडीओ के कार्यालय में 1943 के चालान रजिस्टर के निरीक्षण से यह पता चला कि प्रथम प्रत्यर्थी का नाम धोखाधड़ी से उन अभियुक्तों के नामों के बीच डाला गया था जिन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई थी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी ने पेंशन के लिए आवेदन करते समय और पेंशन प्राप्त करते समय अपनी जन्मतिथि छुपा ली थी।

उक्त आरोपों के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने प्रथम प्रत्यर्थी को पेंशन का अनुदान इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर इसे प्राप्त किया था। प्रथम प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका दायर करके उक्त रद्दीकरण को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूर कर ली।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया:

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत पेंशन से वंचित न किया जाए, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिनका सारांश इस प्रकार हैः

(१) योजना का उद्देश्य उन लोगों का सम्मान करना और जहां आवश्यक हो, देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों की पीड़ा को कम करना था। कई स्वतंत्रता सेनानी, भले ही उनके पास खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आय नहीं थी, इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए भी अनिच्छुक होंगे, क्योंकि वे इसे अपनी देशभक्ति की कीमत लगाने के रूप में मानेंगे। योजना की भावना स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता और सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए मूल्यवान बलिदानों को स्वीकार करना है, अधिकारियों को आवेदकों के साथ सम्मान और शिष्टाचार के साथ बर्ताव करना चाहिए। इस योजना को मुआवजे के भुगतान की किसी प्रकार की नियमित योजना में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

(२) इस योजना के दायरे में आने वाले वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बलिदान और कष्टों के लिए किसी पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान दिया और कष्ट सहे। इसलिए उनसे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सहभागिता के बारे में सही रिकॉर्ड या दस्तावेज

बनाए रखने और पेश करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

(३) एक बार जब देश ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देकर सम्मानित करने का फैसला कर लिया है, तो योजना को लागू करने वाले अधिकारियों का दृष्टिकोण प्रस्तुत आवेदनों और दस्तावेजों की जांच करते समय बाधावादी या तकनीकी नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक होना चाहिए कि अधिकांश आवेदन, बिना उचित रिकार्ड वाले वृद्ध व्यक्तियों द्वारा हैं।

(४) योजना के तहत पेंशन का मानदंड उम्र नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी है। इसलिए, असाधारण मामलों में, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन उन लोगों को भी दी जा सकती है जो संघर्ष के समय नाबालिग थे, यदि साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और योजना की आवश्यकताओं को पूरा किया था। (पैरा 8) (625-सी-एच, 626-ए-डी)

मुकुंद लाल भंडारी बनाम भारत संघ 1993 सप्लीमेंट्री (3) एससीसी 2, गुरदयाल सिंह बनाम भारत संघ 2001 (8) एससीसी 8 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम देवकीनंदन माहेश्वरी 2003 (3) एससीसी 183 - पर भरोसा किया।

2. झूठे दावेदारों का वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों को मिलने

वाला लाभ लेकर चले जाना कई कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिबंध बन गया है। किसी भी योजना के तहत फर्जी दावों के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार की ओर से बरती गई उदासीनता, सभी योजनाओं में अयोग्य उम्मीदवारों जो कि अच्छी तरह से जुड़े हुए और प्रभावशाली हैं, द्वारा फर्जी दावों को बढ़ावा देगी। जब झूठे दावे केंद्र सरकार के संज्ञान में आते हैं, तो वह कड़ी कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करने वाले फर्जी दावेदारों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देना उतना ही बुरा है जितना कि वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन से वंचित किया जाना। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को ही पेंशन मिले। इसका मतलब यह है कि सरकार को झूठे और मनगढ़ंत दावों को खत्म कर देना चाहिए और दावे की फर्जी प्रकृति सामने आने पर स्वीकृति रद्द कर देनी चाहिए। (पैरा 7,9) (625-ए-बी, 626-एफ)

भारत संघ बनाम अवतार सिंह 2006 (6) एससीसी 493 - पर भरोसा किया

3.1. मौजूदा मामले में, केंद्र सरकार द्वारा उल्लेखित पहला आधार, जो गंभीर विवाद में नहीं है, वह यह है कि 1943 के चालान रजिस्टर से संबंधित प्रविष्टियों में प्रथम प्रत्यर्थी ('चौधरी') का नाम अलग लिखावट व अलग स्याही से बाद में जोड़ा गया है, जो दर्शाता है कि प्रथम प्रत्यर्थी को

वास्तव में कारावास नहीं भुगतना पड़ा, जैसा कि दावा किया गया है। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उसने उक्त सुधार नहीं किया है। जब उस पृष्ठभूमि पर विचार किया जाता है जिसमें दस्तावेज तैयार किया गया था और यह कैसे प्रथम प्रत्यर्थी के दावे का खंडन करता है, तो दावे की फर्जी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। 1978 में प्रस्तुत पेंशन के लिए अपने आवेदन के साथ, प्रथम प्रत्यर्थी ने केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, वह, अधीक्षक, बालासोर जेल द्वारा दिनांक 12.3.1974 को जारी किए गए कथित प्रमाण पत्र की एक टाइप प्रति जिसमें कहा गया था कि उसे डीआईआर के नियम 38(5) के अन्तर्गत पी.जी. मोहंती, एसडीओ, भद्रक के द्वारा दोषी ठहराया गया तथा सात माह के साधारण कारावास की सजा दी गयी थी और उन्हें 19.3.1943 से 10.10.1943 के बीच बालासोर जेल में कैद रखा गया लेकिन उक्त प्रमाण पत्र पर कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं था और किसी अन्य दस्तावेज द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। इसलिए, प्रथम प्रत्यर्थी को अपने दावे का समर्थन करने के लिए अन्य सामग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यह वह स्तर था जब प्रथम प्रत्यर्थी ने चालान रजिस्टर (31.12.1981 को उसके द्वारा प्राप्त) से उद्धरण की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। एसडीओ के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच से पता चला कि उस मामले में दोषी दिखाए गए व्यक्तियों के नामों में 'चौधरी' और 'बानाबिहारी' के नाम अलग स्याही से और अलग लिखावट में प्रविष्ठ किये गए थे। इसके अलावा, उक्त प्रविष्टि से पता चला कि दोषी

व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 147 के तहत एक साल की सश्रम कारावास, आईपीसी की धारा 152 सपठित धारा 149 के तहत दो साल की सश्रम कारावास और डीआईआर के नियम 38 के तहत दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह प्रथम प्रत्यर्थी के दावे से पूरी तरह भिन्न है (जिसे उसने 12.3.1974 को टाइपशुदा जेल प्रमाणपत्र द्वारा समर्थन करने की मांग की थी) कि उसे सात महीने के साधारण कारावास की सजा दी गई थी। इस प्रकार, जेल प्रमाणपत्र की अहस्ताक्षरित टाइपशुदा प्रति और प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में दिए गए विवरण उसके द्वारा प्रस्तुत चालान रजिस्टर की प्रमाणित प्रति की सामग्री से झूठे साबित होते हैं। जाहिर है, प्रथम प्रत्यर्थी उस मामले में दोषी ठहराए गए या कारावास की सजा पाने वाले व्यक्तियों में से एक नहीं था। (पैरा 10) (627-बी-एच, 628-ए-ई)

3.2. रद्द करने का दूसरा आधार उम्र का झूठा दावा है। आवेदन में दिखाया गया कि जब उन्हें सजा सुनाई गई और कारावास दिया गया तो उनकी उम्र 22 साल थी। लेकिन उनके स्कूल के रिकॉर्ड से पता चला कि उनका जन्म 23.9.1926 को हुआ था और इसलिए, 1943 में उनकी उम्र 16 साल थी। वहीं दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी के सर्विस रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 13.9.1928 दिखाई गई है (जिसे कि प्रथम प्रत्यर्थी ने सही जन्मतिथि के रूप में स्वीकार किया था) जिसका मतलब था कि 1943 में

वह 14 साल का था जब उसने दावा किया कि उसे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। पेंशन रद्द करने के आदेश में कहा गया है कि यदि वह 14 वर्ष का होता, तो उसे बोस्टल/किशोर गृह में रखा जाता और जेल में कैद नहीं किया जाता और इससे पता चलता है कि प्रथम प्रत्यर्थी का दावा कि उसे जेल में कैद किया गया था, अत्यधिक असंभव था। प्रथम प्रत्यर्थी ने पेंशन प्राप्त करने के लिए अपनी उम्र के बारे में जानबूझकर झूठा दावा किया। (पैरा 11) (628-एफ-एच, 629-ए-सी)

3.3. निर्विवाद तथ्यों से इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रथम प्रत्यर्थी का दावा झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित था। इसलिए, पेंशन रद्द करना उचित था और इसमें गलती नहीं पायी गयी। (पैरा 12) (629-डी-ई)

3.4. उच्च न्यायालय ने रद्द करने के कारणों को नजरअंदाज कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि राज्य सरकार को झूठे दावे का पता नहीं चला जब प्रथम प्रत्यर्थी ने आवेदन किया था और प्रथम प्रत्यर्थी ने पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष कथित सह कैदियों के कुछ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। उच्च न्यायालय झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के पेश करने को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जो आवेदक को योजना के तहत किसी भी लाभ से स्वचालित रूप से वंचित कर देगा। उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन रद्द करने के आदेश की पुष्टि की जाती है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम

प्रत्यर्थी की मृत्यु वर्ष 2004 में हो गई है, मृत प्रथम प्रत्यर्थी को पूर्व में भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली उसकी विधवा या अन्य विधिक प्रतिनिधियों से नहीं की जाएगी। (पैरा 13,14) (629-एच, 630-ए-सी)

केस कानून संदर्भः

1993 सप्लीमेंट्री (3) एससीसी 2	भरोसा किया	पैरा 8
2001 (8) एससीसी 8	भरोसा किया	पैरा 8
2003 (3) एससीसी 183	भरोसा किया	पैरा 8
2006 (6) एससीसी 493	भरोसा किया	पैरा 9

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील की संख्या 6818/2010

उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक के ओ.जे.सी. संख्या 11859/2001 मे पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 14.10.2023 से

साथ

सी.ए. की संख्या 6819/2010

मोहन जैन, एएसजी, कीर्ति रेनू मिश्रा, डी.के. ठाकुर, दीपक जैन,

योगिता यादव, एस.एन. टेरडाल, पी. परमेश्वरन, सुषमा सूरी, के. सारदा देवी, देबासिस मिश्रा उपस्थित पक्षकारों की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर.वी. रवीन्द्रन द्वारा दिया गया :

1. अनुमति दी गयी,

2. इन अपीलों में प्रथम प्रत्यर्थी चौधरी नायक (जिनकी विशेष अनुमति याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और उनकी विधवा उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में रह गईं) ने 18.9.1978 को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 ('संक्षिप्त में योजना') के तहत पेंशन का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया। अपने आवेदन में, उन्होंने दावा किया कि उन्हें भारत रक्षा नियमों (संक्षेप में 'डीआईआर') के नियम 38(5) के अंतर्गत उप-मण्डल अधिकारी, भद्रक द्वारा दोषी ठहराया गया था और सात महीने के साधारण कारावास की सजा दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि उक्त दोषसिद्धि और सजा के अनुसरण में, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और बालासोर जेल में 19.3.1943 से 10.10.1943 तक कारावास भुगतना पड़ा। स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन के लिए उक्त आवेदन के साथ दिनांक 12.3.1974 के एक प्रमाण पत्र की टाइप की गई अहस्ताक्षरित प्रति संलग्न थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अधीक्षक, बालासोर जिला जेल द्वारा जारी किया गया था, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि प्रथम प्रत्यर्थी को श्री पी.सी. मोहंती, उपमंडल अधिकारी, भद्रक के द्वारा

10.3.1943 को डीआईआर के नियम 38(5) के तहत दोषी ठहराया गया और सात माह के साधारण कारावास की सजा दी गई थी और वह 19.3.1943 से 10.10.1943 तक उक्त जेल में निरूद्ध रहा। इसलिए प्रथम प्रत्यर्थी को कारावास के कुछ स्वीकार्य सबूत पेश करने के लिए कहा गया। वर्ष 1982 में, उन्होंने आपराधिक मामला रजिस्टर (चालान रजिस्टर के एसआई नंबर 278) में 12.10.1943 को की गई प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जो श्री पी.सी. मोहंती, एसडीओ के द्वारा निस्तारित किये गये 1942 के प्रकरण संख्या जी 327 का संक्षिप्त सारांश था। उक्त प्रमाणित प्रति प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा एसडीओ के कार्यालय के रिकॉर्ड अनुभाग से 30.12.1981 को प्राप्त की गई थी। उक्त प्रमाणित प्रति से पता चला कि श्री पी.सी. मोहंती, एसडीओ, भद्रक ने आईपीसी की धारा 147, 35 से 38 और डीआईआर के नियम 38(5) के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में एम्प्ररर बनाम सालार और 32 अन्य नामक मामले में अंतिम आदेश दिया था। उस मामले में दोषी ठहराए गए और सजा पाए आरोपियों के नामों में 'चौधरी' नाम भी शामिल था।

3. राज्य सरकार ने चालान रजिस्टर के उक्त प्रमाणित उद्धरण को प्रथम प्रत्यर्थी के छह महीने से अधिक कारावास भुगतने के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया और उसके आवेदन पर कार्यवाही की और पेंशन के लिए उसके मामले की सिफारिश की। प्रथम प्रत्यर्थी को केंद्र सरकार द्वारा

1.8.1980 से और 1.1.1984 से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी। तब से प्रथम प्रत्यर्थी को योजना के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा था।

4. उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक एस. संन्यासी चरण दास द्वारा एक जनहित याचिका (ओजेसी नंबर 15977/1997) दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रथम प्रत्यर्थी झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों को प्रस्तुत करके स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन ले रहा था और इसका निरीक्षण किया गया था। एसडीओ, भद्रक के कार्यालय में चालान रजिस्टर से पता चलेगा कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए और सजा सुनाए गए अभियुक्तों के नामों में प्रथम प्रत्यर्थी का नाम कपटपूर्वक प्रविष्ट किया गया था, (जिसके संबंध में प्रथम प्रत्यर्थी ने प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की थी)। यह भी कहा गया कि प्रथम प्रत्यर्थी 1943 में मुश्किल से चैदह वर्ष का था और उसने पेंशन के लिए आवेदन करते समय और पेंशन हासिल करते समय अपनी जन्मतिथि (13.9.1928) छुपा ली थी और अपने आवेदन दिनांक 18.9.1978 में अपनी उम्र गलत तरीके से 56 वर्ष दिखाई थी। (जिससे 1943 में वह 21 वर्ष का हो जायेगा)। इन आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार ने भद्रक के पुलिस अधीक्षक से जांच करायी। उक्त जांच से पता चला कि चालान रजिस्टर (एसआई नम्बर 278 पर) में प्रविष्टियों में, प्रथम प्रत्यर्थी और दूसरे का नाम (''चौधरी'' और

“बानाबिहारी“) को दोषी ठहराए गए और सजा सुनाए गए व्यक्तियों के नामों के बीच प्रविष्ट किया गया था, जैसा कि नीचे दिखाये गये “निर्णय की दिनांक और दण्डादेश के विवरण के साथ पारित अन्तिम आदेश” कॉलम में दर्शाया है और ऐसी प्रविष्टी एक आकस्मिक निरीक्षण पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी क्योंकि दोनों नाम एक अलग लिखावट और अलग स्याही और छाप में थे। जांच से यह भी खुलासा हुआ कि प्रथम प्रत्यर्थी की जन्मतिथि स्कूल रिकॉर्ड में 23.9.1926 दिखाई गई थी और उसके सेवा रिकॉर्ड में 13.9.1928 दर्ज की गई थी।

5. इसलिए राज्य सरकार ने प्रथम प्रत्यर्थी को दिनांक 14.12.2000 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया और उससे यह बताने के लिए कहा कि फर्जी दस्तावेजों द्वारा पेंशन प्राप्त करने के मद्देनजर पेंशन की अनुमति रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, केंद्र सरकार ने भी प्रथम प्रत्यर्थी को दिनांक 19.7.2001 को इसी तरह का कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रथम प्रत्यर्थी ने चालान रजिस्टर में क्रम संख्या 278 से संबंधित प्रविष्टियों में किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन की जानकारी से इनकार करते हुए जवाब भेजा। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज उनकी जन्मतिथि 13.9.1928 थी, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने पेंशन के लिए आवेदन में गलत उम्र क्यों दिखाई थी। दिए गए स्पष्टीकरण

पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार ने दिनांक 14.8.2001 के आदेश द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी को दी गई स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन रद्द कर दी। प्रथम प्रत्यर्थी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (ओजेसी संख्या 11859/2001) दायर करके उक्त रद्दीकरण को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.10.2003 के आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार की कि रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार ने आवेदन और रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद ही प्रथम प्रत्यर्थी के मामले की सिफारिश की थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के साथ प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रमाणपत्रों का भी उल्लेख किया, जो कथित तौर पर उसके सह-कैदियों द्वारा उसके कारावास के बारे में जारी किए गए थे। उक्त आदेश को इन अपीलों में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा विशेष अनुमति द्वारा चुनौती दी गई है।

6. भारत सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी करने और प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद विस्तृत तर्कयुक्त आदेश दिनांक 14.8.2001 द्वारा पेंशन रद्द कर दी। इसने रद्दीकरण के निम्नलिखित दो कारण बताएः-

(१) चालान रजिस्टर में, प्रथम प्रत्यर्थी (चौधरी) का नाम एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए और सजा सुनाए गए अभियुक्तों के नामों के बीच, एक अलग लिखावट और एक अलग स्याही में कपटपूर्व

प्रविष्ट किया गया था। इससे पता चला कि प्रथम प्रत्यर्थी वास्तव में उस मामले में अभियुक्त नहीं था, न ही उसे दोषी ठहराया गया था या सजा सुनाई गई थी या कोई कारावास भुगता था।

(२) स्कूल के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 23.9.1926 दिखाई गई थी। उनके सेवा रिकॉर्ड में उनकी जन्म तिथि 13.9.1928 दर्शायी गई (जिसे सही जन्म तिथि स्वीकार किया गया)। यदि ऐसा है, तो कथित दोषसिद्धि के समय उसकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। लेकिन 18.9.1978 को दिए गए पेंशन आवेदन में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी उम्र 56 वर्ष यानि 1943 में 21 वर्ष दिखाई थी।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार का पेंशन रद्द करना उचित था और क्या उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द करना न्यायोचित था।

7. केंद्र सरकार द्वारा अपने अतिरिक्त हलफनामे में दिए गए आंकड़ों से यह जानना दिलचस्प है कि 1,70,813 स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन (31.5.2010 तक) स्वीकृत की गई है। वर्तमान में लगभग 60000 व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों के रूप में पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है। एक स्वतंत्रता सेनानी और उनकी मृत्यु के बाद उनके पति या पत्नी को औसत पेंशन 12400/- रुपये प्रति माह और आश्रित अविवाहित बेटी को दी जाने वाली औसत पेंशन 3000 रुपये

प्रति माह है। वर्ष 2009-10 के लिए इस योजना के तहत व्यय 785 करोड़ रुपये था। हमने इन आंकड़ों का जिक्र सिर्फ यह दिखाने के लिए किया है कि जब केंद्र सरकार के सामने झूठे दावे आएंगे तो वह कड़ी कार्यवाही करने को बाध्य है। किसी भी योजना के तहत फर्जी दावों के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार की ओर से बरती गई उदासीनता सभी योजनाओं में अयोग्य उम्मीदवारों, जो अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और प्रभावशाली हैं, द्वारा फर्जी दावों को बढ़ावा देगी। झूठे दावेदारों का वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों को मिलने वाला लाभ ले जाना कई कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिबंध बन गया है।

8. इस न्यायालय ने मुकुंद लाल भंडारी बनाम भारत संघ {1993 सप्लीमंेट्री, (3) एससीसी 21}, गुरदयाल सिंह बनाम भारत संघ {2001 (8) एससीसी 8} और म.प्र. राज्य बनाम देवकीनंदन माहेश्वरी {2003 (3) एससीसी 183} मंे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के उद्देश्य पर विचार किया और संकेत दिया कि योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदनों से निपटने में प्राधिकारियों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। हम उन्हें निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैंः-

(१) योजना का उद्देश्य उन लोगों का सम्मान करना और जहां आवश्यक हो, देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों की पीड़ा को कम करना था। कई स्वतंत्रता सेनानी, भले ही उनके पास खुद को बनाए रखने

के लिए पर्याप्त आय नहीं थी, इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए भी अनिच्छुक होंगे, क्योंकि वे इसे अपनी देशभक्ति पर कीमत लगाने के रूप में मानेंगे। योजना की भावना स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता और सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए मूल्यवान बलिदानों को स्वीकार करना है, अधिकारियों को आवेदकों के साथ सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस योजना को मुआवजे के भुगतान की किसी प्रकार की नियमित योजना में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

(२) इस योजना के दायरे में आने वाले वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बलिदान और कष्टों के लिए किसी पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान दिया और कष्ट सहे। इसलिए उनसे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सहभागिता के बारे में सही रिकॉर्ड या दस्तावेज बनाये रखने और पेश करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

(३) एक बार जब देश ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देकर सम्मानित करने का निर्णय ले लिया है, तो योजना को लागू करने वाले अधिकारियों का दृष्टिकोण प्रस्तुत आवेदनों और दस्तावेजों की जांच करते समय बाधावादी या तकनीकी नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक होना चाहिए कि अधिकांश आवेदन, बिना उचित रिकार्ड वाले वृद्ध व्यक्तियों द्वारा हैं।

(४) योजना के तहत पेंशन का मानदंड उम्र नहीं, बल्कि स्वतंत्रता

संग्राम में भागीदारी है। इसलिए, असाधारण मामलों में, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन उन लोगों को भी दी जा सकती है जो संघर्ष के समय नाबालिग थे, यदि साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और योजना की आवश्यकताओं को पूरा किया था।

उपरोक्त सिद्धांतों को यह सुनिश्चित करने के लिए वर्णित किया गया था कि किसी भी वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी को योजना के तहत पेंशन से वंचित नहीं किया गया था।

9. झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करने वाले फर्जी दावेदारों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन प्रदान करना उतना ही बुरा है जितना वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन से वंचित किया जाना। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को ही पेंशन मिले। इसका मतलब यह है कि सरकार को झूठे और मनगढ़ंत दावों को खत्म कर देना चाहिए और दावे की फर्जी प्रकृति सामने आने पर स्वीकृति रद्द कर देना चाहिए। भारत संघ बनाम अवतार सिंह (2006 (6) एससीसी 493) में इस न्यायालय ने इसलिए आगाह किया:

> ‘‘वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ श्रद्धा, आदर और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिन

लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें उदारवादी दृष्टिकोण जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में, जिनमें से अधिकांश सामान्य क्रम में सप्तति वर्षीय और अस्सीति वर्षीय है, अपनाया जाना आवश्यक है, से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

हमें उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में फर्जी दावा करने के आक्षेपों की जांच करनी होगी।

10. केंद्र सरकार द्वारा उल्लेखित पहला आधार यह है कि 1943 के चालान रजिस्टर के सीरियल नम्बर 278 से संबंधित प्रविष्टियों में 'चौधरी' नाम एक अलग लिखावट और अलग स्याही में बाद में जोड़ा गया है जो दर्शाता है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने वास्तव में कारावास नहीं भुगता, जैसा कि दावा किया गया था। यह तथ्य कि चौधरी नाम अलग स्याही और अलग लिखावट में है, गंभीर विवाद में नहीं है। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उसने उक्त संशोधन नहीं किया था। जब उस पृष्ठभूमि पर विचार किया जाता है जिसमें दस्तावेज पेश किया गया था और यह कैसे प्रथम प्रत्यर्थी के दावे का खंडन करता है, तो दावे की फर्जी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। 1978 में प्रस्तुत पेंशन के लिए अपने आवेदन के साथ, प्रथम प्रत्यर्थी ने केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, वह अधीक्षक, बालासोर जेल द्वारा दिनांक 12.3.1974 को जारी किए गए कथित

प्रमाण पत्र की एक टाइप की गई प्रति जिसमें कहा गया था कि उसे पी.जी. मोहंती, एसडीओ, भद्रक के द्वारा डीआईआर के नियम 38(5) के तहत दोषी ठहराया गया था और सात महीने की सजा सुनाई गई थी और उसे 19.3.1943 से 10.10.1943 के बीच बालासोर जेल में निरूद्ध रखा गया। यह निःसंदेह प्रथम प्रत्यर्थी के आवेदन में उसकी दोषसिद्धि और कारावास की अवधि के बारे में उसके दावे का समर्थन करता है। लेकिन उक्त प्रमाणपत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं था और किसी अन्य दस्तावेज द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। इसलिए प्रथम प्रत्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में अन्य सामग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यह उस स्तर पर था जब प्रथम प्रत्यर्थी ने चालान रजिस्टर (31.12.1981 को उसके द्वारा प्राप्त) से उद्धरण की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। जिला रिकाॅर्ड रूम के द्वारा जारी यह प्रमाणित प्रति 1943 के चालान रजिस्टर के क्रम संख्या 278 से सम्बन्धित थी जिसमें दर्शाया गया था कि पी.जी. मोहंती एसडीएम भद्रक के द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 147 और 35 से 38 भा.द.स. तथा डीआईआर की 38(5) में एक सालार तथा 32 अन्य को दोषसिद्ध किया गया था, वहां बताये गये अभियुक्तों के नामों में ''चौधरी'' शामिल है। लेकिन एसडीएम, भद्रक के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच से पता चला कि उस मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के नामों में 'चौधरी' और 'बानाबिहारी' नाम अलग स्याही से और अलग लिखावट में प्रविष्ट किये गए थे। इसके अलावा उक्त प्रविष्टि में दर्शाया गया कि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को

आईपीसी की धारा 147 के तहत एक साल की सश्रम कारावास, आईपीसी की धारा 152 सपठित धारा 149 के तहत दो साल की सश्रम कारावास और डीआईआर के नियम 38 के तहत दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह प्रथम प्रत्यर्थी के दावे (जिसे उसने दिनांक 12.3.1974 के टाइप किए गए जेल प्रमाणपत्र द्वारा समर्थन करने की मांग की थी) कि उसे सात महीने के साधारण कारावास की सजा दी गई थी, से पूरी तरह भिन्न है। इस प्रकार जेल प्रमाणपत्र की अहस्ताक्षरित टाइप की गई प्रति और प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में दिए गए विवरण उसके द्वारा प्रस्तुत चालान रजिस्टर की प्रमाणित प्रति की सामग्री से झूठे साबित होते हैं, जिससे पता चलता है कि दोषी व्यक्तियों को एक वर्ष, दो वर्ष और दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा जो एक साथ चलेगी, दी गयी थी न कि सात महीने का साधारण कारावास, जिसका दावा प्रथम प्रत्यर्थी ने किया है। जाहिर है, प्रथम प्रत्यर्थी उस मामले में दोषी ठहराए गए या सजा सुनाए गए या कैद किए गए व्यक्तियों में से एक नहीं था।

11. रद्द करने का दूसरा आधार उम्र का झूठा दावा है. आवेदन में दर्शाया गया कि जब उन्हें सजा सुनाई गई और जेल में डाल दिया गया तो उनकी उम्र 22 साल थी। लेकिन उनके स्कूल रिकॉर्ड से पता चला कि उनका जन्म 23.9.1926 को हुआ था और इसलिए 1943 में वे 16 साल के थे। दूसरी ओर प्रथम प्रत्यर्थी के सेवा रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि

13.9.1928 दिखाई गई (जिसे प्रथम प्रत्यर्थी ने सही जन्म तिथि स्वीकार किया है) जिसका अर्थ है कि वह 1943 में 14 वर्ष का था जब उसका दावा है कि उसे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। पेंशन रद्द करने के आदेश में कहा गया है कि यदि वह 14 वर्ष का होता, तो उसे बोस्टल/किशोर गृह में रखा जाता और जेल में कैद नहीं किया जाता और इससे पता चलता है कि प्रथम प्रत्यर्थी का यह दावा कि वह जेल में कैद था, अत्यधिक असंभव था। प्रथम प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि कई युवा लगभग 14 वर्ष की आयु के अथवा इससे भी कम थे, ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और यदि ब्रिटिश शासकों ने उन्हें किशोर मानने के बजाय गलत तरीके से जेल भेज दिया था, तो युवाओं को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन विवाद विषय यह नहीं है कि 14 साल का कोई युवा स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है या उसे जेल भेजा जा सकता है। विवाद विषय यह है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने अपनी आयु 56 वर्ष दर्शाते हुए पेंशन के लिए आवेदन दिया था, जिससे 1943 में कथित तौर पर कारावास की सजा के समय वह 21 वर्ष का हो गया, जबकि बाद में उसने स्वीकार किया कि उसका जन्म 13.9.1928 को हुआ था, जिसका अर्थ है कि 1943 में वह मुश्किल से 14 साल का था। इससे पता चलता है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने पेंशन हासिल करने के लिए अपनी उम्र के बारे में जानबूझकर गलत दावा किया था। जाहिर है उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने अपनी सही उम्र बताई तो आपत्ति होगी या विस्तृत जांच होगी

और उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी।

12. निर्विवाद तथ्य इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ते कि प्रथम प्रत्यर्थी का दावा झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित था। वह स्कूल का शिक्षक/प्रधानाध्यापक था जब उसने दावा किया था और स्पष्ट रूप से जानता था कि वह झूठा दावा कर रहा है। इसलिए पेंशन रद्द करना उचित था और इसमें गलती नहीं निकाली जा सकती। यह योजना देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को सम्मानित करने के नेक आशय से शुरू की गई थी। जैसा कि इस न्यायालय ने मुकुंद लाल भंडारी के मामले में देखा, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसी पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनकी देशभक्ति पर प्रीमियम देना जैसा होगा। ऐसे कई अनैतिक व्यक्ति भी हैं जिन्होंने झूठे दावे किए और लाभ प्राप्त किया। सरकार ऐसे झूठे दावेदारों को वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं देगी। परेशान करने वाली बात यह है कि कई झूठे दावेदारों ने इस न्यायालय की टिप्पणियों का फायदा उठाया है कि आवेदनों पर कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदनों की जांच में बहुत कठोर या तकनीकी नहीं होना चाहिए।

13. उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक सिद्धांतों की अनदेखी की। उन्होंने रद्दीकरण के कारणों को नजरअंदाज कर दिया, केवल इसलिए कि जब प्रथम प्रत्यर्थी ने आवेदन किया तो राज्य सरकार को झूठे दावे का पता

नहीं चला और प्रथम प्रत्यर्थी ने पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष कथित सह-कैदियों के कुछ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये। उच्च न्यायालय ने झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों की प्रस्तुती को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, जो आवेदक को योजना के तहत किसी भी लाभ से स्वचालित रूप से वंचित कर देगा।

14. उपरोक्त के मद्देनजर हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हैं और पेंशन रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश की पुष्टि करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम प्रत्यर्थी की मृत्यु वर्ष 2004 में हो गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक प्रथम प्रत्यर्थी को पहले ही भुगतान की गई किसी राशि की वसूली उसकी विधवा या अन्य विधिक उत्तराधिकारीयों से नहीं की जाएगी।

अपील स्वीकार की गयी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मधुसूदन मिश्रा, विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1, उदयपुर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।